कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2012/DCE/1818-II/196-242 दिनांक :: 17 अगस्त, 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 8 अगस्त, 2012 को प्रातः 11.00 बजे श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बाद विचार विमर्श लिपिकीय त्रुटि का दुरूस्तीकरण कर सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2012 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर क्षेत्र में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज/अण्डरपास के निर्माण के लिए की गयी कार्यवाही पर विचार विमर्श।

बैठक में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में निम्नानुसार रेलवे ओवरब्रिज/अण्डरपास निर्माण का कार्य प्रकियाधीन हैः–

1– रेलवे कॉसिंग सी–160 (बनाड) पर आर.ओ.बी. निर्माण
2– रेलवे कॉसिंग सी–168 (आर.टी.ओ.रोड) पर आर.ओ.बी. निर्माण
3– रेलवे कॉसिंग सी–165 (सारण नगर) पर आर.ओ.बी. निर्माण
4– रेलवे कॉसिंग सी–18 (माणकलाव) पर आर.ओ.बी. निर्माण
5– रेलवे कॉसिंग सी–2 (पावटा बी रोड) पर आर.यू.बी. निर्माण
6– रेलवे अण्डरब्रिज बी–71 (डी.आर.एम. कार्यालय) पर चार लेन आर.यू.बी. निर्माण
7– रेलवे कॉसिंग सी–7 (भदवासिया) पर आर.ओ.बी. निर्माण

बैठक में अवगत कराया कि आर.यू.बी. पावटा बी रोड के निर्माण के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जो कि पानी की निकासी से संबंधित था लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा प्राधिकरण व इरकॉन द्वारा पानी निकास के भूमिगत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने की तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। आर.यू.बी. का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में अवगत कराया गया कि रेलवे कॉसिंग सी–160 (बनाड) पर निर्माण के संबंध में सेना द्वारा कुछ आक्षेप प्रस्तुत किये गये थे। जिनका निवारण सेना के उच्चाधिकारियों, जिला कलक्टर महोदय एवं इरकॉन व प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बैठक कर किया जा चुका है। सेना द्वारा मुख्य रूप से यह आक्षेप उठाया गया कि उक्त आर.ओ.बी. बनने से सैन्य क्षेत्र की गोपनीयता लोगों के आवागमन से भंग हो सकती है। लेकिन प्राधिकरण द्वारा ओपेक वॉल के निर्माण की स्वीकृति देने के कारण यह आक्षेप दूर हो गया। सेना द्वारा सेना की भूमि आर.ओ.बी. निर्माण में आने के संबंध में आपत्ति की गयी। जिसके कम में सेना को उक्त भूमि के बदले उतनी ही भूमि अन्यत्र देने का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा दिया गया है।

वर्तमान में भदवासिया आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बैठक में अवगत कराया कि रेलवे अण्डरब्रिज बी–71 (डी.आर.एम. कार्यालय) पर चार लेन आर.यू.बी. निर्माण के संबंध में निविदायें आमंत्रित की गयी है।

शेष आर.ओ.बी. निर्माण के संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाना है, निर्माण के प्रकरण विचाराधीन है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त आर.ओ.बी. के निर्माण यथासम्भव शीघ्र निष्पादित कराने हेतु निदेशक–अभियांत्रिक को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 : प्रमुख सडक मार्गों की चौडाईकरण व सुदृढीकरण के दौरान वैकल्पिक यातायात व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श।

बैठक में अवगत कराया गया कि शहर के सुनियोजित विकास एवं सुगम यातायात के लिए निम्नानुसार सडकों को 4 लेन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिये गये हैं:–

क्र.सं.	सडक निर्माण का विवरण	अनुमानित लागत राशि रूपये लाख में
1.	सरदारपुरा डी रोड को 4 लेन सडक निर्माण कार्य	350.00
2.	डी.आर.एम. ऑफिस से गोल बिल्डिंग चौराहा वाया नेहरू पार्क को 4 लेन सडक निर्माण कार्य	180.00
3.	रोटरी चौराहा द्वितीय से शास्त्री सर्कल आई.आई.टी. चौराहा तक 4 लेन सडक निर्माण	400.00
4.	बाबा रामदेव रोड मसूरिया के सौन्दर्यकरण एवं 4 लेन सडक निर्माण कार्य	510.00
5.	भदवासिया स्कूल के पीछे से माता का थान तक 4 लेन सडक निर्माण कार्य (पैकेज संख्या 3)	115.00

बैठक में अवगत कराया गया कि शहर के सुनियोजित विकास एवं सुगम यातायात के लिए निम्नानुसार सडकों को 4 लेन निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं:–

क्र.सं.	सडक निर्माण का विवरण	अनुमानित लागत राशि रूपये लाख में
1.	बासनी पुल से चौपासनी रोड तक वाया एम्स, पाल रोड अणदाराम परिहार स्कूल 4 लेन सडक निर्माण कार्य	3367.00
2.	ई.एस.आई. अस्पताल (कमला नेहरू नगर) रोड 4 लेन सडक निर्माण	640.00
3.	घडी तिराहा से सालासर हैण्डलूम तक 4 लेन सडक निर्माण कार्य	400.00
4.	अणदाराम परिहार स्कूल से डाली बाई मंदिर होते हुए राजीव गांधी नगर तक 4 लेन सडक निर्माण कार्य	2500.00
5.	आखलिया चौराहे से चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड होते हुए जैसलमेर बाईपास तक 4 लेन सडक निर्माण कार्य	2500.00
6.	भदवासिया रेलवे क्रॉसिंग से सारण नगर रेलवे क्रॉसिंग माता का थान तक 4 लेन सडक मय डिवाईडर इत्यादि का निर्माण कार्य	1250.00
7.	रोटरी चौराहे से न्यू पॉवर हाऊस तक सडक का सौन्दर्यकरण, सुदृढीकरण एवं अन्य विकास कार्य	501.00

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

8.	सम्पर्क सडक के एन. मुखर्जी मार्ग (रिक्तिया भैरूजी) से सब्जी मण्डी रातानाडा वाया पी.डब्ल्यू.डी. चौराहा – सेनापति भवन चौराहा 4 लेन सडक निर्माण	840.00
9.	ग्रीनगेट चौराहा जवाहर कॉलोनी सरदार कलब होते हुए वायु सेना पुलिस कार्यालय चौराहा तक सडक चौडा किये जाने का कार्य (रिस्क एण्ड कॉस्ट)	33.43
10.	अण्डरब्रिज प्रथम से पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस के आगे तक नाला सडक एवं चौराहे का निर्माण कार्य	286.00

बैठक में अवगत कराया गया कि निम्नांकित प्रमुख सडक निर्माण कार्य भी प्रगति पर है जिनसे यातायात सुगम हो सकेगाः–

क्र.सं.	सडक निर्माण का विवरण	अनुमानित लागत राशि रूपये लाख में
1.	गुरू राजाराम नगर, पार्श्वनाथ नगर, गायत्री नगर (पैकेज संख्या 3)	136.00
2.	शिक्षक नगर, जयमाल नगर, शिवसागर की शेष सडक पर सडकों का निर्माण कार्य (पैकेज संख्या–1)	133.00
3.	कृष्णा नगर, ऋद्धि सिद्धि नगर, राजीव गांधी कॉलोनी में सडकों का निर्माण कार्य (पैकेज संख्या–2)	147.00
4.	गुलजार नगर, बिचला बास, न्यू परिहार नगर (पैकेज संख्या 4)	149.00
5.	पाल जोन के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने के पश्चात् शेष सडक निर्माण कार्य	355.59
6.	झालामण्ड जोन के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने के पश्चात् शेष सडक निर्माण कार्य	492.02
7.	लक्ष्मीनगर न्यू बीजेएस हनुवन्त–ए, हनुवन्त बीजेडएस ए एवं जेडएस –बी में डामरीकरण का कार्य (रिस्क एण्ड कॉस्ट)	85.40
8.	सरस्वती नगर जेडीए योजना क्षेत्र की मुख्य सडक एवं विभिन्न सेक्टरों का डामरीकरण का कार्य	160.00

बैठक में अवगत कराया गया कि निम्नलिखित विकास कार्य विद्युत कार्य प्रगति पर होने/प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुए हैं जो विद्युत कार्य पूर्ण होने पर प्रारम्भ होंगे। जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	सडक निर्माण का विवरण	अनुमानित लागत राशि रूपये लाख में
1.	सरदारपुरा 7वीं रोड एवं 5वीं रोड चौराहा से सिवांचीगेट तक 4 लेन सडक निर्माण	177.60
2.	पावटा चौराहा से कालटेक्स वाया नैनीबाई का मंदिर स्टेडियम तक 3 व 4 लेन सडक निर्माण कार्य	360.00
3.	सरदारपुरा सी रोड को 4 लेन सडक निर्माण कार्य	560.00

बैठक में लाल पुलिया क्षतिग्रस्त होने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। पुलिया के बीच का हिस्सा पुराना पाट से बना हुआ था जो क्षतिग्रस्त हुआ है। जिसका पुनःनिर्माण

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्राधिकरण द्वारा आर.सी.सी. से प्रारम्भ करवा दिया है। लाल पुलिया की सफाई हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पुलिस, यातायात, जोधपुर कमिशनरेट, जोधपुर ने अवगत कराया कि आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाकर ट्राफिक डाइवर्ट किया जा रहा है तथा वर्तमान यातायात व्यवस्था सुचारू है। निदेशक–अभियांत्रिकी को निर्देशित किया कि उक्त महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव संख्या 4 :: शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्राफिक सिंग्नल लाईट्स लगाये जाने एवं ऑपरेशनल किये जाने के संबंध में विचार विमर्श

बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा ट्राफिक सिग्नल की मरम्मत एवम् रखरखाव के लिए 10.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गयी है। जिसके क्रम में अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निविदा भी जारी की चुकी है तथा उनके द्वारा यह कार्य एक माह की अवधि में पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया।

उपायुक्त–पुलिस यातायात द्वारा 67 स्थानों पर ट्राफिक सिग्नल लाईट लगाने के लिए चिन्हित किये गये हैं। अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि नई ट्रैफिक सिग्नल लाईट्स के लिए बजट उपलब्ध नहीं हैं। जिस पर बैठक में विचार विमर्श कर उपायुक्त–पुलिस यातायात व अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि इस हेतु विभागीय स्तर पर बजट की मांग करें।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट राशि के अलावा तात्कालिक रूप से राशि की आवश्यकता होगी तो वह राशि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी। तब तक नयी ट्रैफिक सिग्नल लाईट्स जो लगवायी जानी है उनकी राशि प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। ट्राफिक सिग्नल लाईट्स की तुरन्त आवश्यकता के मद्देनजर उपायुक्त–पुलिस यातायात द्वारा प्रस्तुत सूची में प्राथमिकतानुसार प्रथम सूची "ए" में अंकित 11 स्थानों पर ट्राफिक सिंग्नल प्राधिकरण द्वारा लगवाये जाने का निर्णय लिया गया। सभी लाईटे एल.ई.डी. प्रकार की लगायी जावे। उक्त नई सिग्नल लाईट्स लगाये जाने की कार्यवाही अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जावे। इस हेतु आवश्यक धनराशि प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरित की जावेगी।

बैठक में सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त ट्राफिक सिग्नल लाईट्स का रखरखाव अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा। समस्त सिग्नल लाईट दुरूस्त रखी जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव संख्या 5 :: शहरी क्षेत्र में प्राईवेट वाहन व स्टेज केरिज वाहनों के बस स्टेण्ड व शहर में आवागमन के मार्गों के संबंध में विचार विमर्श।

प्रस्ताव संख्या 5 (अ) :: राईकाबाग फुट ब्रिज के पास मेडता व सोजत रूट की दो बस खडी करने के संबंध में जोधपुर – मेडता – सोजत बस एसोसिएशन के पत्र दिनांक 3 अगस्त, 2012 पर विचार विमर्श।

बैठक में प्राईवेट स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर यूनियन का प्रतिनिधि मण्डल भी उपस्थित हुआ। जिन्होंने निवेदन किया कि कालवी प्याऊ बस स्टेण्ड पर बसें खडी करने से यात्रियों को

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

काफी परेशानी होती है। अतः नागौर, औसियाँ/मथानिया, बिलाडा/मेडता की तरफ जाने वाली बसों के लिए शहर के नजदीक स्थान उपलब्ध कराये जावे जिससे यात्रियों को सुविधा हो। उक्त स्थानों पर सीमित संख्या में बसे खडी कर यातायात सुगम रखा जावेगा।

इसी संबंध में राईकाबाग फुट ब्रिज के पास मेडता व सोजत रूट की दो बसें खडी करने के संबंध में भी ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

बैठक में इस बिन्दु पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया तथा ऐसे स्थानों के चिन्हिकरण तथा उक्त स्थानों पर बसें रोक कर सवारी लेने की मंजूरी देने पर यातायात की स्थिति के बारे में सर्वे व आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक कमेटी का गठन उपायुक्त-पुलिस यातायात, जोधपुर की अध्यक्षता में किया गया जिसमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, संबधित आयुक्त नगर निगम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अधिशाषी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग सदस्य होंगे।

स्टेज केरिज बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में स्टेज केरिज बसों के स्टेण्ड हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं हैं लेकिन भविष्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए बनाड़ रोड पर भूमि उपलब्ध करा दी जावे तो यूनियन द्वारा उसका स्थायी विकास किया जावेगा जो भविष्य में शहर के विकसित होने पर बस स्टेण्ड के रूप में काम आवेगा। इस पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त-पूर्व इस हेतु उपयुक्त भूमि की तलाश कर अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करें।

बैठक में सिटी बस यूनियन के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए जिन्होंने बताया कि उपायुक्त-यातायात ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर शहर से गुजरने वाली सिटी बसों की संख्या में कमी किये जाने की मांग की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा महेन्द्र लोढा बनाम सरकार में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में वर्ष 2000 से ही शहर से गुजरने वाली सिटी बसों की संख्या 250 निर्धारित है, जबकि शहर में दुपहिया व चार पहिया वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाकर उपायुक्त-पुलिस यातायात की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आयुक्त नगर निगम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर व सिटी बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह उप समिति सिटी बसों के शहर में नियमानुसार संचालन, नियमितिकरण, स्टोप, सिटी बसों की संख्या के बारे में अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेगी।

बैठक में उपस्थित सिटी बस के प्रतिनिधियों को ड्राईवर व कण्डक्टर को सुरक्षित वाहन संचालन, सवारियों विशेषकर महिलाओं से सद्व्यवहार व सिटी बस निर्धारित स्टॉप पर ही खडा करने हेतु पाबंद करने बाबत अवगत कराया गया। जिस पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि यूनियन द्वारा शहर में 40 से अधिक व्यक्ति उनके स्तर से विभिन्न स्टेण्डों पर लगाये गये हैं। फिर भी उनके द्वारा इस पर समस्त ड्राईवर व कण्डक्टर को समझाईश कर सही रूप से वाहन संचालित करने हेतु आश्वस्त किया। यह भी निर्णय लिया गया कि सिटी बस स्टेण्ड पर लाईनिंग द्वारा बस-वे मार्क की जावे। सिटी बसें उक्त बस-वे में ही खडी हो। बेतरतीब खडी होने व स्टेण्ड के अतिरिक्त अन्य स्थानों से सवारियां बैठाने पर यातायात पुलिस द्वारा ऐसे चालकों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर व नागौर मार्गों की ओर जाने वाली रोडवेज बसों के लिए सेटेलाईट बस स्टेण्ड बनाये जाने के संबध में विचार विमर्श

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बैठक में पाली, बाड़मेर, जैसलमेर व नागौर मार्गों की ओर जाने वाली रोडवेज बसों के लिए सेटेलाईट बस स्टेण्ड बनाये जाने के संबध में विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि पाली रोड के लिए विवेक विहार योजना में बस स्टेण्ड का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार नागौर मार्ग के लिए बस स्टेण्ड व केन्द्रीय कार्यशाला बनाये जाने के लिए देसूरिया विश्नोईयां के स्थान पर ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 122 में भूमि चिन्हित की जाकर सशर्त आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है। बाडमेर व जैसलमेर मार्ग की बसों के लिए सेटेलाईट बस स्टेण्ड हेतु स्थान का चयन किया जा रहा है।

गत बैठक मे निर्देश दिये जाने के बाद भी यथोचित प्रगति नहीं हुई है। उपायुक्त –पश्चिम व उपायुक्त–दक्षिण बाड़मेर व जैसलमेर मार्ग पर सेटेलाईट बस स्टेण्ड पर उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव आगामी बैठक से पूर्व अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 7 :: बी.आर.ओ. बाईपास पर ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा

बैठक में सीमा सडक कृतिक बल के अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया लेकिन सीमा सडक कृतिक बल के अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से सचिव प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि आर.ओ.बी. निर्माण की प्रगति बाबत सीमा सडक कृतिक बल के अधिकारियों को बुलाकर अविलम्ब चर्चा कर निर्माण कार्य में प्रगति करावें। निर्माण में कोई तकनीकी समस्या है तो अध्यक्ष, महोदय को अवगत करावें।

प्रस्ताव संख्या 8 :: जोधपुर शहर को पोल लेस सिटी बनाये जाने के संबंध में विचार विमर्श।

जोधपुर शहर को पोल लेस सिटी बनाये जाने के संबध में निदेशक–अभियांत्रिक प्राधिकरण एवं अधिशाषी अभियन्ता–जोधपुर विद्युत वितरण एवं प्रसारण निगम से वार्ता की गयी। जिन्होंने बताया कि विद्युत पोल हटाने का कार्य प्रगति पर है तथा भूमिगत केबलिंग की जा रही है।

बैठक में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया कि समय समय पर केबल का मुआयना करें तथा इन्सूलेशन खराब होने की स्थिति में तुरन्त इन्सूलेशन दुरूस्त करने की कार्यवाही करें।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण द्वारा पोल लेस सिटी बनाये जाने हेतु भूमिगत केबलिंग के कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे शीघ्र पूर्ण कराने हेतु जोधपुर विद्युत प्रसारण/वितरण निगम को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही संबंधित संवेदकों के विरूद्ध अण्डरग्राउण्ड केबलिंग के बाद समुचित कम्पेक्टिंग न किये जाने के लिए कार्यवाही की जाने के निर्देश दिए गए।

प्रस्ताव संख्या 9 :: शहर में भारी वाहन के प्रवेश हेतु मार्ग व समय निर्धारण तथा भीतरी शहर में वाहनों के नो–एण्ट्री प्रावधान के संबध में चर्चा एवं एकतरफा यातायात व्यवस्था किये जाने बाबत विचार विमर्श।

बैठक में भारी वाहनों के शहर में नो–एण्ट्री के संबध में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त–पुलिस, यातायात, जोधपुर कमिशनरेट, जोधपुर ने बताया कि शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए समय पूर्व में ही निर्धारित है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बाद विचार विमर्श अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव हो तो लिखित में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किये।

बैठक में उपायुक्त–पुलिस द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ नये मार्गों पर प्रायोगिक तौर पर एकतरफा यातायात की व्यवस्था की जा रही है। बैठक में सर्व सम्मति से विचार कर उपायुक्त–यातायात पुलिस को अधिकृत किया गया कि वे शहर में यातायात सुगम करने हेतु जिन मार्गों पर एकतरफा यातायात व्यवस्था किया जाना उचित समझते हैं उन पर बाद समुचित प्रचार के उक्त व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ करें। व्यवस्था के परिणाम उत्साहवर्धक होने पर एकतरफा यातायात के प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 10 :: यातायात के दबाव वाले प्रमुख सडक मार्गों के लिए वैकल्पिक सडक मार्ग का चिन्हिकरण व सुदृढीकरण।

गत बैठक में जालोरीगेट से नई सडक वाया चांदशाह तकिया का निर्माण शीघ्र अति शीघ्र कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे जिस पर समुचित कार्यवाही नहीं हुई। नगर निगम द्वारा इस बाबत सर्वे भी करवाया गया है। जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। बैठक में अवगत कराया गया कि जालोरीगेट से चांदशाह तकिया, सोजतीगेट, नई सडक, दर्पण सिनेमा, स्टेडियम, नेनीबाई का मंदिर होते हुए उदयमंदिर तक सडक का विस्तार किया जावे तो शहर की हृदय रेखा जालोरीगेट से पावटा चौराहे तक सडक पर यातायात सरल व सुगम हो सकता है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उक्त सडक का कार्य शीघ्र अति शीघ्र कराने हेतु निदेशक–अभियांत्रिक जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया। इसके लिए यदि कतिपय स्थानों पर भूमि/भवन की अवाप्ति करना आवश्यक हो तो उसे भी चिन्हित किया जावे। इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट आगामी एक माह में निदेशक–अभियांत्रिक द्वारा अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जावे।

बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अवगत कराया कि शहर की मुख्य हृदय रेखा पुरी तिराहा से बोम्बे मोटर चौराहा तक सडक काफी पुरानी हो चुकी है तथा अपनी म्याद पूरी कर चुकी है तथा वर्तमान में इसके निर्माण हेतु विभाग के पास बजट उपलब्ध नहीं हैं। अतः इसे प्राधिकरण द्वारा निर्मित करवाया जावे।

इस पर बैठक में सर्व सम्मति से विचार विमर्श कर पुरी तिराहा से बोम्बे मोटर चौराहा तक सडक निर्माण प्राधिकरण द्वारा करवाये जाने का निर्णय लिया गया गया। इस हेतु निदेशक–अभियांत्रिक प्राधिकरण को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग भी राज्य सरकार से इस बाबत बजट की मांग कर प्रस्ताव प्रेषित करें।

प्रस्ताव संख्या 11 :: मल्टी स्टोरी पार्किंग की कार्य योजना व कियान्वयन की प्रगति की समीक्षा।

बैठक में उपस्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर ने बताया कि निगम द्वारा जोधपुर शहर को तीन भागों में विभक्त कर सम्भावित पार्किंग स्थलों व पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए सुविधाएं विकसित करने हेतु प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट तेयार कर प्रस्तुत करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जा रही है। जिसमें प्रथम जोन पावटा से सोजतीगेट जिस में संभावित पार्किंग स्थल राजीव गांधी चौराहा, माननीय उच्च न्यायालय व कलेक्ट्रेट परिसर, राईकाबाग बस स्टेण्ड/रेलवे स्टेशन हैं। द्वितीय जोन सोजतीगेट से जालोरीगेट जिसमें

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

संभावित स्थल रेलवे स्टेशन व बाईजी का तालाब क्षेत्र हैं। तृतीय जोन सरदारपुरा व शास्त्रीनगर है जिसमें संभावित स्थान गांधी मैदान व रावण का चबूतरा हैं।

उक्त स्थानों पर सर्वे कर प्री– फिजीबिलिटी रिपोर्ट में कंसलटेन्ट द्वारा पार्किंग स्थल/पार्किंग की किस्म यथा भूमिगत अथवा मल्टी स्टोरी तथा राहगीरों हेतु विकसित की जाने वाली सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी जिसके बारे में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

बैठक में सर्व सम्मति से उपरोक्त कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: फुट ओवरब्रिज के निर्माण की प्रगति की समीक्षा

जालोरीगेट पर फुटओवरब्रिज निर्माण के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने अवगत कराया कि पूर्व में इस हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। जिसमें एकल निविदा प्राप्त हुई। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु पत्रावली मुख्यालय भेजी गयी है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपरोक्त कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: कचँरा संग्रहण वाहन वाहनों व उनके निर्धारित रूट्स की पहचान के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि कचरा संग्रहण वाहनों व उनके रूट्स की पहचान कर ली गयी है। बैठक में अवगत कराया कि संवेदक द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2012 से डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से इस संबंध में संतोष व्यक्त किया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: बी.आर.टी.एस. बस व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में चर्चा।

बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि बी.आर.टी.एस. बस व्यवस्था हेतु जिला कलक्टर, जोधपुर की अध्यक्षता में जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड की बैठक आयोजित की जा कर इसका संचालन किया जा रहा है। शीघ्र ही कम्पनी को लो–फलोर बडी व छोटी बसें प्राप्त होने वाली है। जिनका संचालन आर. एस.आर.टी.सी. के माध्यम से किया जावेगा। बी.आर.टी.एस. रूट्स की पहचान की जा चुकी है।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर निर्णय लिया गया कि उक्त सिटी बस संचालन व्यवस्था सुचारू रखी जावे व बसों की संख्या बढाई जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: कमला नेहरू कॉलेज के सामने सडक की चौड़ाई का विस्तार करने के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में सचिव ने अवगत कराया कि कमला नेहरू कॉलेज के सामने सडक की चौडाई का विस्तार करने के संबंध में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अधिकारियों से वार्ता हुई और

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा कमला नेहरू कॉलेज की अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के नक्शे की मांग की गयी थी जो उन्हें उपलब्ध करवा दिया गया है।

बैठक में बाद विचार सर्व सम्मति से सचिव को इस संबंध में रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अविलम्ब समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्रगति कराने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: कम्प्रीहैंसिव मोबिलिटी प्लान के कियान्वयन की स्थिति के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में कम्प्रीहैंसिव मोबिलिटी प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति के क्रम में जंक्शन इम्प्रुवमेंट, हॉकर्स को व्यवस्थित करना व अतिक्रमण हटाना, वन–वे एवं प्रतिबंधित प्रवेश वाले मार्गों का निर्धारण, पेड–पार्किंग व्यवस्था प्रारम्भ करना, टैक्सी स्टेण्ड का निर्धारण, बहुमंजिली इमारतों में पार्किंग सुविधा की अनिवार्यता एवं जोधपुर शहर में सी.एन.जी. वाहनों के संचालन की अनिवार्यता बाबत विचार विमर्श किया गया तथा बैठक में विचार विमर्श कर संबंधित विभागीय एजेन्सियों में समन्वय स्थापित कर इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु निर्णय लिया गया।

जोधपुर शहर में वर्तमान में सी.एन.जी. पम्प उपलब्ध नहीं है। इस बाबत विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सचिव प्राधिकरण जिला रसद अधिकारी, जोधपुर के साथ समस्त ऑयल कम्पनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर जोधपुर में सी.एन.जी. पम्प प्रारम्भ करने बाबत विचार कर अग्रिम कार्यवाही करें।

बैठक में अवगत कराया गया कि शहर के चौराहों में तकनीकी खामियां हैं। चौराहों पर मीडियन, स्लिप लैन, डिवाईडर, रोटरी को सही रूप से डिजाईन किया जावे तो यातायात व्यवस्थित हो सकता है तथा दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है।

इस पर बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति में अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधीक्षणा अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संबंधित अधिशाषी अभियन्ता प्राधिकरण सदस्य होंगे। उक्त समिति जालोरीगेट चौराहा, आखलिया चौराहा, मथुरादास माथुर चौराहा (12वीं रोड चौराहा), रिक्तिया भैरूजी चौराहा एवं पावटा चौराहा का तकनीकी रूप से परीक्षण करते हुए सुधार हेतु अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 17 :: बोम्बे मोटर्स चौराहे के पास स्थित बाडा में बसों के टहराव बाबत। (पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य–2 ( ) जोध/ पु.उपा.मु. एवं याता./12 / 142 दिनांक 18 जनवरी, 2012 के कम में)

बैठक में अवगत कराया गया कि पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य–2 ( ) जोध/ पु.उपा.मु. एवं याता./12 / 142 दिनांक 18 जनवरी, 2012 पर विचार विमर्श कर इस संबंध में टिप्पणी प्रेषित करने हेतु सचिव प्राधिकरण, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्राधिकरण की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से बोम्बे मोटर्स चौराहे के पास प्राईवेट बस ऑपरेटर्स द्वारा किराये पर लिये गये बाडे के स्थान पर अन्य वैकल्पिक स्थान

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

का चयन करने हेतु उपायुक्त–पुलिस यातायात की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त कमेटी में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, आयुक्त नगर निगम एवं सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 18 :: रोडवेज बस स्टेण्ड को स्थानान्तरित करने के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार पावटा स्थित फल सब्जी मण्डी को भदवासिया स्थित अनाज मण्डी के पास रोडवेज वर्कशोप की भूमि पर स्थानान्तरित करने के निर्देश जारी किये गये। पावटा सब्जी मण्डी का स्थानान्तरित भाग रोडवेज बस स्टेण्ड के लिए उपयोग के लिए रखा जावेगा। भदवासिया स्थित रोडवेज वर्कशोप हेतु गांव खोखरिया में 45 बीघा भूमि दिये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार फल सब्जी मण्डी के स्थानान्तरण से पावटा पर यातायात का संचालन सुचारू रूप से हो पायेगा।

बैठक में अब तक की गयी कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में शिफि्टंग कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

प्रस्ताव संख्या 19 :: गोपालकों को स्थानान्तरित करने के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में अवगत कराया गया कि गोपालकों को शहरी क्षेत्र से प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित चारों दिशाओं में भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया जा चुका है। बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही प्रगतिरत् है।

बैठक में अब तक की गयी कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए उक्त परियोजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए गये।

प्रस्ताव संख्या 20 :: सुगम यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले अवरोधक का चिन्हिकरण व दूर करने के बारे में विचार विमर्श।

बैठक में उपस्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने बताया कि नगर निगम द्वारा प्रमुख सडक मार्गो का सर्वे कर यातायात में बाधक अवरोधों व अतिकमणों का चिन्हीकरण किया गया है। बैठक में सर्व सम्मति से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ऐसे समस्त अवरोधक व अतिकमणों को हटाने हेतु नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अविलम्ब विधिक कार्यवाही की जावे व उक्त कार्यवाही निरन्तर रूप से जारी रखी जावे। इस हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम नोडल अधिकारी होंगे तथा सभी विभाग उनसे समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: आवारा पशुओं को हटाने के संबंध में विचार विमर्श।

बैठक में शहर में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को हटाने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर शहर में विचरण करने वाले पशुओं को सख्ती से नियमित रूप से हटाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि अब निगम के पास पर्याप्त रूप से पशुगृह उपलब्ध है। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने आश्वस्त किया कि नगर निगम के पास पर्याप्त स्थान उपलब्ध है तथा रात्रि में भी आवारा पशुओं को पकडने की

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

कार्यवाही नाईट गैंग लगाकर शीघ्र अति शीघ्र प्रारम्भ कर दी जावेगी। निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यवाही निरन्तर रखी जावे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: यातायात पुलिस को संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श।

बैठक में उपायुक्त–पुलिस यातायात ने साईनेज बोर्ड, बेरियर, हैण्ड हैल्ड टॉर्च, मास्क, नो–पार्किंग में खडे वाहनों हेतु व्हीकल लॉक इत्यादि उपलब्ध कराने की मॉग की।

जिस पर समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पुलिस विभाग अपने स्तर पर भी उपरोक्त सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक धनराशि की मांग अपने विभागीय स्तर पर प्रस्तुत करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि जब तक उपरोक्तानुसार धनराशि प्राप्त नहीं होती है तब तक उपरोक्त सामग्री यातायात पुलिस द्वारा अपने स्तर पर क्रय करने तथा उक्त सामग्री को अपने पर्यवेक्षण में स्थापित करने हेतु 15.00 लाख रूपये की राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपायुक्त–पुलिस यातायात को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया। यातायात पुलिस द्वारा उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राधिकरण को प्रेषित किया जावेगा।

बैठक में उपायुक्त–पुलिस ने ट्राफिक प्वाईन्ट्स पर सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाने व पुलिस नियंत्रण कक्ष के आधुनिकीकरण की आवश्यकता बताते हुए आवश्यक बजट की मांग की। बैठक में अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग द्वारा पूर्व में 15 स्थानों पर सी.सी. टी.वी. कैमरा लगाये गये हैं, प्राधिकरण द्वारा पूर्व में शहर की सीमाओं पर स्थित चार नाकों पर सी.सी. टी.वी. कैमरा मय रिकार्डिंग यंत्र लगवाये गये थे तथा कण्ट्रौल रूम में 100 नम्बर कॉल सेन्टर शुरू करने हेतु भी बेटरियां जिनकी कीमत राशि लगभग 2.50 लाख रूपये थी, उपलब्ध करा दी गयी थी।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में जो सुविधाएं (उपकरण) उपलब्ध है, उन्हें सुचारू रूप से संचालित किया जाकर उपयोग में लिया जावे तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर अतिरिक्त उपकरणों की मांग की जावे।

बैठक में अवगत कराया गया कि यातायात पुलिस जोधपुर में स्वीकृत पदों की तुलना में करीब 200 पद रिक्त है। रिक्त पदों पर पदस्थापन होने से यातायात नियंत्रण में सुविधा होगी बैठक में सर्व सम्मति से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त पुलिस इस संबंध में उच्च अधिकारियों से विशेष तौर पर निवेदन कर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करें।

प्रस्ताव संख्या 23 :: सडक मरम्मत कार्यों पर विचार विमर्श।

बैठक में अवगत कराया गया कि भूमिगत केबलिंग तथा सीवर संबंधित विभिन्न कार्य कराये जाने के कारण सडके क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से संबंधित विभाग को अविलम्ब क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया गया। जो बरसात को ध्यान में रखकर मरम्मत व डामरीकरण का कार्य किया जावे। यदि वर्षा की वजह से तुरन्त डामरीकरण किया जाना उचित नहीं है तो भी अविलम्ब रूप से सडक पर हुए गढ्ढे बलास्ट व रोलर द्वारा सही किये जावे।

बैठक में उपस्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने अवगत कराया कि शिप हाऊस के पास सीवर कार्य व दर्पण सिनेमा के पास सडक क्षतिग्रस्त है जिस हेतु रोड कटिंग की राशि क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग व सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है। अधिशाषी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग व अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस संबंध में अविलम्ब उक्त स्थानों पर सडक मरम्मत कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रस्ताव संख्या 24 :: फाईबर स्पीड ब्रेकर के स्थान पर वैकल्पिक डामर के स्पीड ब्रेकर निर्माण की कियान्विती

बैठक में अवगत कराया गया कि पूर्व में लगाये फाईबर स्पीड ब्रेकर के दुष्प्रभावों के बारे में आम जन की शिकायतें प्राप्त हुई है तथा सुगम यातायात में भी कठिनाई आ रही है।

माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका में भी इनके स्थान पर डामर के स्पीड ब्रेकर लगवाने बाबत निर्देश हुए है। अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा इस बाबत अवगत कराया जाकर पालना रिपोर्ट चाही गयी है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में लगाये गये फाईबर स्पीड ब्रेकर को तुरन्त हटाया जाकर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप डामर के स्पीड ब्रेकर बनाये जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था

जोधपुर शहर में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य नगर निगम, जोधपुर द्वारा किया जा रहा है। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि दूरभाष पर सार्वजनिक पथ प्रकाश के संबंध में शिकायतें प्राप्त की जाकर उन्हें पंजीबद्ध किया जा रहा है तथा बंद रोड लाईटों को दुरूस्त किया जा रहा है। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से इस संबंध में प्राप्त शिकायतों को त्वरित गति से निपटाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को निर्देशित किया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: वाहनों की प्रदूषण जॉच

बैठक में अवगत कराया गया कि वाहनो की प्रदूषण बाबत केवल दस्तावेजों की जांच की जा रही है तथा प्रदूषण बाबत वाहनों की भौतिक रूप से निकलने वाले धुएं की जांच नहीं की जा रही है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यातायात पुलिस को पूर्व में उपलब्ध कराये स्मोक मीटर की मरम्मत करवाकर प्रयोग में लिया जावे। यातायात पुलिस व परिवहन विभाग मात्र दस्तावेजी जांच तक सीमित नहीं रहें अपितु भौतिक रूप से वाहनों से निकलने वाले धुंए की जॉच स्मोक मीटर से करें।

वर्तमान में एल.पी.जी. द्वारा संचालित ऑटो रिक्शा के परमिट के साथ लोडिंग टैक्सी को भी एल.पी.जी. के द्वारा संचालित करने हेतु प्रेरित किया जावे तथा पुराने ऑटो रिक्शा व मालवाहक ऑटो रिक्शा को ग्रामीण क्षेत्रों में ही संचालन के लिए परमिट जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 27 :: पार्किंग व्यवस्था में सुधार/नो–पार्किंग हेतु त्वरित कार्यवाही हेतु व्हीकल लॉक उपलब्ध कराने बाबत चर्चा

बैठक में अवगत कराया गया कि सुगम यातायात में बेतरतीब वाहन पार्किंग से भी भारी बाधा आती है। नो–पार्किंग में खडे चार पहिया वाहनों के विरूद्ध क्रैन द्वारा टॉचिंग कर पुलिस नियंत्रण कक्ष ले जाये जाने पर पूरे रास्ते में यातायात बाधित होता है तथा वाहनों में भी टूट फूट की सम्भावना रहती है।

अहमदाबाद तथा हाल ही में जयपुर शहर में नो–पार्किंग में खडे चार पहिया वाहनों पर व्हीकल लॉक लगाया जाकर कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यातायात पुलिस को उपरोक्त कार्य हेतु व्हीकल लॉक उपलब्ध करवाये जावे। इस संबंध में प्रस्ताव संख्या 22 में राशि हस्तान्तरित करने हेतु निर्णय लिया जा चुका है।

बैठक में विचार विमर्श कर यह भी निर्णय लिया गया कि प्रमुख मार्गों में भीडभाड वाले स्थानों पर पार्किंग क्षेत्र की सीमा दर्शाते हुए लाईनिंग सही रूप से रखी जावे। लाईनिंग का कार्य नगर निगम व प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा जो कार्य यातायात पुलिस के सहायक उपायुक्त/निरीक्षक पुलिस की मांग पर उनके बताये अनुसार कराया जावे। इस बाबत उपायुक्त–पुलिस को बताया गया कि अपने अधीनस्थ अधिकारीगण को निर्देशित करें कि लाईनिंग कार्य हेतु नगर निगम के अधिशाषी अभियन्ता तथा प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता श्री अरविन्द माथुर से समन्वय रखकर उक्त कार्य सम्पादित करावें।

प्रस्ताव संख्या 28 :: कालवी प्याऊ व काजरी स्टेण्ड पर यात्री सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा

बैठक में स्टेज केरिज बस ऑपरेटर्स यूनियन के प्रतिनिधियों ने कालवी प्याऊ बस स्टेण्ड पर स्थान सीमित होने की समस्या से अवगत कराया। जिस पर विचार विमर्श किया गया कि एक समय पर अधिक से अधिक 14 बसें गन्तव्य स्थानों हेतु प्रस्थान करती है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि 14 बसों हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध है, बसे रवानगी से कुछ समय पूर्व वहॉं पर आयें तथा शेष समय अन्यत्र निर्धारित पार्किंग स्थानों पर खडी करें। जिस पर यूनियन के पदाधिकारियों ने सहमति जताते हुए सहयोग देने हेतु आश्वस्त किया।

बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि सांय 6.00 बजे के पश्चात् कालवी प्याऊ बस स्टेण्ड पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ जाती है जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस चौकी की स्थापना की जावे। जिस पर बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पुलिस ने अवगत कराया कि कालवी प्याऊ बस स्टेण्ड पर यातायात पुलिस का जाब्ता बसों के संचालन तक उपलब्ध रहता है फिर भी इस बारे में स्थिति का आंकलन कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

कालवी प्याऊ पर पूर्व में बस स्टेण्ड के शेड पर अतिक्रमण था जो प्राधिकरण द्वारा हटवाया जा चुका है। बैठक में उपस्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम ने अवगत कराया कि कालवी प्याऊ बस स्टेण्ड पर जन सुविधाओं के तहत एक सुलभ शौचालय व रैन बसेरा स्वीकृत किया जा चुका है। जिसके स्थान चयन के समय कुछ बस ऑपरेटर ने आपत्ति जताई। जिस पर यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता कर उन्हें अवगत कराया कि उपरोक्त सुविधाएं जन सुविधाएं हैं इससे आमजन को सुविधा मिलेगी जिस पर यूनियन के पदाधिकारियों ने भी अपनी सहमति जताते हुए इस कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया।

बैठक में अवगत कराया कि काजरी बस स्टेण्ड पर विद्युत व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा पूर्ण की जा चुकी है। प्राईवेट बस ऑपरेटर्स को अपने स्तर पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से कनेक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही की जानी है। बैठक में यह भी अवगत कराया कि काजरी बस स्टेण्ड पूर्ण रूप से विकसित होने के बावजूद भी निजी बसें कलपतरू के पास से संचालित हो रही है। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पुलिस विभाग पूर्व में लिये गये निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव संख्या 29 :: केरला ऑटोमोबाईल लिमिटेड द्वारा निर्मित यूरो–श्री ऑटो रिक्शा को परमिट दिये जाने बाबत जोधपुर ऑटो रिक्शा यूनियन के पत्र दिनांक 3 अप्रैल, 2012 के संबंध में विचार विमर्श।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

जोधपूर ऑटो रिक्शा यूनियन ने ज्ञापन प्रस्तुत कर बताया कि जोधपुर में डीजल चलित ऑटो रिक्शा को परमिट नहीं दिये जा रहे हैं। जबकि विभिन्न रूट्स पर डीजल चलित मिनीडोर टैम्पो, टाटा मैजिक वाहनों को परमिट दिया जा रहा है। यूरो–3 ऑटोरिक्शा भी प्रदूषण रहित हैं। जिन्हें परमिट दिया जावे।

बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शहर में ऑटो रिक्शा, टैम्पो, लोडिंग के रूप में एल.पी.जी. संचालित वाहनों को ही परमिट दिया जावे। कोई वाहन पुराना होने की स्थिति में रीप्लेशमेंट पर भी पूर्व परमिट एल.पी.जी. वाहन पर ही रिप्लेस किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 :: जोधपुर शहर में निर्धारित टैम्पो स्टेज कैरिज मार्गों में स्वीकृत परमिट संख्या में संशोधन बाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2012 पर विचार विमर्श।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बैठक में अवगत कराया कि यातायात नियंत्रण बोर्ड की पूर्व बैठक दिनांक 5 मई, 2010 के प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा तिपहिया टैम्पो वाहनों को नये अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया था। इस पर निर्णय के अनुरूप उस समय जारी अनुज्ञा पत्रों के आधार पर परिवहन विभाग उप शासन सचिव (मु.) की अधिसूचना द्वारा परमिट का स्कोप निर्धारित कर दिया गया था। जिसमें नियमानुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति हेतु निर्धारित आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा जा सका था। अतः परिवहन मुख्यालय द्वारा आरक्षण प्रावधानों के तहत निर्धारित स्कोप की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वर्तमान में जारी समस्त परमिट को सूचीबद्ध कर उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परमिट धारकों को चिन्हित करें। तद्परान्त कुल स्वीकृत परमिट में अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जन जाति हेतु 12 प्रतिशत आरक्षण पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित कोटे में अतिरिक्त परमिट जारी किये जाने हेतु कार्यवाही करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नये जारी किये जाने वाले परमिट एल. पी.जी. संचालित वाहनों पर जारी किये जावे।

बैठक में अवगत कराया गया कि जोधपुर शहर में टैम्पो व ऑटो रिक्शा हेतु नये परमिट जारी नहीं किये जाने के कारण ऐसा पाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों हेतु परमिट जारी कराया जाकर ऐसे वाहनों का संचालन शहर में किया जा रहा है। बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जोधपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के वाहनों को अलग अलग रंग की पट्टिका से दर्शाया जावे जिससे ग्रामीण क्षेत्र हेतु जारी परमिट वाले वाहन शहर में संचालित नहीं हो सके।

बैठक में अवगत कराया गया कि जोधपुर शहर में ऑटो रिक्शा की संख्या तय है फिर भी अवैध रूप से ऑटो रिक्शा का संचालन हो रहा है। जिस पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि परिवहन विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित ऑटो रिक्शा की पहचान हेतु वैध ऑटो रिक्शा पर टोकन लगाने की कार्यवाही की जा रही है। वैध ऑटो रिक्शा की संख्या 6000 है। परिवहन विभाग द्वारा समस्त कागजात जॉच कर वैध ऑॅटोरिक्शा पर एक अलग किस्म का टोकन लगाया जा रहा है। इस बाबत प्रचार कर समस्त ऑटो रिक्शा को उक्त टोकन लगाये जाने की हिदायत दी गयी है। बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उक्त कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करावें तद्परान्त परिवहन विभाग व यातायात पुलिस शेष वाहन जिन पर टोकन नहीं है, उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही करें।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

कमांक/बैठक/2012/DCE/1818-II/196-242 दिनांक ::/17 अगस्त, 2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर ।
2. महापौर, नगर निगम, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. पुलिस उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
8. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर।
12. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर।
13. जिला रसद अधिकारी, जोधपुर
14. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
15. महाप्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
16. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/जो.वि.वि.नि.लि, जोधपुर।
17. मुख्य नियंत्रक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
18. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर।
19. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि/वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
20. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
21. कमाण्डर, 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, पावटा बी रोड, जोधपुर
22. अधिशाषी अभियन्ता-नगरवृत/विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
23. अधिशाषी अभियन्ता, ... (समस्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
24. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
25. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
26. तहसीलदार, पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
27. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
28. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर को उक्त कार्यवाही विवरण का अंकन वेब-साईट पर करने हेतु प्रेषित हे।
29. --

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

196-242
17/8/12

परिशिष्ट–1

दिनांक 8 अगस्त, 2012 को प्रातः 11.00 बजे श्री रतन लाहोटी, जोधपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री राहूल प्रकाश, उपायुक्त–पुलिस, यातायात, जोधपुर कमिशनरेट, जोधपुर
2.	डॉ. शशि शर्मा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3.	श्री रामजीवन मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
4.	श्री हरिप्रसाद पिपरिया, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
5.	श्री टी.सी. छाजेड, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6.	श्री एम.एल. रावल, निदेशक–अभियांत्रिक,
7.	श्री एस.एल. सेठी, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री मनीष अग्रवाल, अति. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री भागीरथ विश्नोई, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री महेन्द्रसिंह, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री वी.के. वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
12.	श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री ओ.पी. बैरवा, महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
14.	श्री रमेश माथुर, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री एम.एस. चारण, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
16.	श्री नारायणसिंह पुरोहित, तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.	श्री नारायणराम इंदालिया, तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18.	श्री प्रवीण कुम्भट, सचिव, जोधपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जोधपुर
19.	श्री धर्मेन्द्र सिंह, प्राईवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन, जोधपुर
20.	श्री गुड्डुराम भाम्बु, प्राईवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन, जोधपुर
21.	श्री जुगलकिशोर पंवार, प्राईवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन, जोधपुर
22.	श्री गोपालसिंह रूदिया, प्राईवेट बस ऑनर एसोसिएशन, जोधपुर
23.	श्री हरिसिंह आर्य, सिटी बस एसोसिएशन, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor